आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

महेश्वरी व अन्य बनाम नत्थूराम व अन्य

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 62 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
19.06.19	वकील अपीलांट्स द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 29.09.2014 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया कि वर्तमान श्रावणी फसल पकने पर वे वादग्रस्त भूमि वाके चक 9 एस.पी.डी.ए तहसील सूरतगढ के प.नं. 8/19(15) के कि.नं. 1, 2, 7 ता 19, 23, 24 में 3.580है0 अनकमाण्ड भूमि की नपाई कर पक्षकारान को सीमाज्ञान करवाये व इस सम्बन्धी रिपोर्ट इस अदालत में प्रस्तुत करें। स्थगन प्रा.पत्र पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने स्थगन प्रा.पत्र पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अनकमाण्ड खातेदारी भूमि है जिस पर अन्य व्यक्ति या संस्था को अतिक्रमण कर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। विवादित रकबा अपीलांट्स की खातेदारी का है। अपीलांट्स ने पूर्व में दिनांक 20.09.2009 को उक्त रकबा की पैमाईश करवायी थी। इस पर रेस्पों. ने अपनी असहमति जाहिर कर एतराज किया था एवं पटवारी हल्का को पैमाईश करने में दिक्कत पैदा की थी। पैमाईश सम्बन्धी उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि सैटलमेन्ट विभाग की टीम नियुक्त कर पैमाईश करवायी जावे। रेस्पों.	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़

अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में घुस कर पक्का निर्माण करने पर उतारू है। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गये तो अपीलांट्स को काफी नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु अपीलांट्स के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि अपीलांट्स का स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार कर रेस्पों. को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में बिना सीमा ज्ञान करवाये किसी प्रकार का पक्का निर्माण व मकान का निर्माण नहीं करे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस एवं अपील के साथ प्रस्तुत निर्णय की प्रमाणित फोटो प्रति का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने अधी.न्यायालय में वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि उसके धारण में चक 9 एस. पी.डी.ए तहसील सूरतगढ के प.नं. 8/19(15) के कि.नं. 1, 2, 7 ता 19, 23, 24 में 3.580है0 खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि सरदारपुरा खर्था गांव की आबादी भूमि से सटी हुई है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण अतिचार कर कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 10.09.2002 को प्रा.पत्र पर एकतरफा सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की तरफ से उनके अभिभाषक द्वारा जबाब प्रा. पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि उभयपक्ष यह स्वीकार करते हैं कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हैं व वर्तमान में फसल काश्त है। काश्त अंकन अनुसार है अथवा उससे अधिक, यह जांच का विषय हो सकता है, जिसका निर्धारण पूर्ण वाद विचारण में होना सम्भव है। किन्तु अतिचार का सन्देह अप्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रार्थीगण इस आधार पर स्थगन प्राप्त करने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़

अधिकारी नहीं बनते है। यद्यपि उनका कब्जा पूर्णरूप से साबित है, किन्तु अतिकम्री सन्हेहदस्पद होने से स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनते। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत स्थगनादेश से इंकार करते हुए प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ को विवादित अपीलाधीन भूमि के सीमा ज्ञान के आदेश प्रदान किये। फलस्वरूप मामले का सार व तथ्य बदल गया तथापि उपखण्ड अधिकारी का आदेश मामले की तह तक जा कर निर्णय करने की दृष्टि से उचित हो सकता है।

इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश में सीमा ज्ञान से सम्बन्धित आदेश दिये हैं। सीमा ज्ञान से सम्बन्धित मामलों की अपील इस न्यायालय में नहीं हो सकती है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.04.2019 को लगभग 5 वर्ष बाद पेश की है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सीमा ज्ञान के सम्बन्ध में दिये गये आदेश को काफी समय हो चुका है। सीमा ज्ञान से सम्बन्धित आदेश में इस न्यायालय से कोई राहत नहीं दी जा सकती है। यदि अपीलांट को सीमा ज्ञान से सम्बन्धित अनुतोष चाहिए तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

जहां तक प्रार्थी द्वारा कथित रूप से कि उसकी भूमि में से पुनः अतिक्रमण किया जा रहा है, यह नयी विषयवस्तु व तथ्य है जिसके उपचार हेतु वह उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नये सिरे से प्रा.पत्र प्रस्तुत कर उपचार प्राप्त कर सकता था।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट्स संधारणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़